

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर ।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य-09/2024

दिनांक 15/10/2024

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0 ।

अपने पत्र संख्या:वीजेड-सोशल मीडिया-(18)/2020/10720,दिनांक:जून 04,2020 व पत्र संख्या:41/6-पु-3/2020,दिनांक:04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो पुलिस विभाग एवं उसके अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है ।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में दिनांक 14.10.2024 की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

01. थाना नोनहरा पुलिस टीम द्वारा 01 अदद नाजायज देशी तमन्चा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थानाध्यक्ष नोनहरा धीरेन्द्र कुमार सोनकर मय हमराह दिनांक 14.10.2024 को समय सुबह 06.10 बजे कठवा मोड पुराना पुल,थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर से मुखबिर की सूचना पर एक अदद नाजायज देशी तमन्चा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ अभियुक्त पंकज नट पुत्र जम्मू नट निवासी ग्राम मिश्रौलिया थाना संझौली जनपद रोहतास बिहार उम्र करीब 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0स0 162/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त -

अभियुक्त पंकज नट पुत्र जम्मू नट निवासी ग्राम मिश्रौलिया थाना संझौली जनपद रोहतास बिहार उम्र करीब 32 वर्ष

बरामदगी-

एक अदद नाजायज देशी तमन्चा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

01 .मु0अ0स0 49/23 धारा 3/5A/5B/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना नोनहरा गाजीपुर

02 .मु0अ0स0 49/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नोनहरा गाजीपुर

03 .मु0अ0स0 162/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नोनहरा गाजीपुर

02. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 10.10.2024 को जीवन ज्योति पब्लिक स्कूल के पास हुयी घटना मे संलिप्त 02 नफर अभि0गण को गिरफ्तार कर घटना मे प्रयुक्त एक अदद पिस्टल .32 बोर व 03 अदद मोबाइल बरामद किया गया ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत दिनांक 14.10.2024 को थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 520/2024 धारा 109(1),352,351(3) भादवि से सम्बन्धित घटना मे संलिप्त दो अभियुक्तगण 1. पवन चौबे पुत्र आनन्द चौबे निवासी जंजीरपुर थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 25 वर्ष 2.टिंकू यादव उर्फ सन्तदयाल यादव पुत्र रामअवतार यादव निवासी जंजीरपुर अहिरपुरवा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 24 वर्ष को दिनांक 13.10.2024 को पौहारी बाबा आश्रम आदर्श बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त पवन चौबे के पास से एक अदद पिस्टल .32 बोर व दो अदद मोबाइल तथा अभियुक्त टिंकू यादव उर्फ सन्तदयाल यादव के पास से एक अदद मोबाइल बरामद किया गया । बरामद पिस्टल के आधार पर उक्त मुकदमे मे धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी किया गया । गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण की नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम पता

1. पवन चौबे पुत्र आनन्द चौबे निवासी जंजीरपुर थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 25 वर्ष

मु0अ0सं0 520/2024 धारा 109(1),352,351(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

2.टिंकू यादव उर्फ सन्तदयाल यादव पुत्र रामअवतार यादव निवासी जंजीरपुर अहिरपुरवा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 24 वर्ष

01- मु0अ0सं0 520/2024 धारा 109(1),352,351(3) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

02- मु0अ0सं0 1873/2017 धारा 323,504,506,341 भादवि थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर